



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[17]

स्वामी के रूप में दर्ज है। उपरोक्त भूमि भूमिधरी आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से उक्त एवं वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों आदि से मुक्त तथा रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेत्रीगण को भूमिधर व व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी होने के नाते उपरोक्त भूमि भूमिधरी को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष






